राजस्थान सरकार
राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

कमांक राम/प–2(13)रातस/बैच–29/2019/7741 दिनांक: 21/8/19

–: आदेश :–

कार्मिक (क–4/2) विभाग राजस्थान जयपुर के पत्र कमांक प.9(2)/कार्मिक/क–4/2/2018 दिनांक 16.08.2019 के कम में राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएं (संयुक्त प्रतियोगी) परीक्षा, 2016 के परिणाम के आधार पर राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर की अनुशंषा के आधार पर राज्य सरकार के अनुमोदन उपरान्त राजस्थान तहसीलदार सेवा नियमावली 1956 के नियम 34 में सफल अभ्यार्थी श्री रायचंद देवासी पुत्र श्री सोनाराम (मेरिट कमांक 621, वर्ग एमबीसी) को नायब तहसीलदार के पद पर 2 वर्ष की कालावधि के लिये परिवीक्षाधीन प्रशिणार्थी के रूप में उपस्थिति देने की संगत तिथि से राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जारी निर्देश/परिपत्र तथा सेवा नियमों के अनुसार देय स्थिर पारिश्रमिक/वेतन भत्तों पर कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक से परिवीक्षा प्रशिक्षु नियुक्त कर 02 वर्ष की परिवीक्षा पर अस्थाई रूप से निम्नांकित शर्तो के अध्यधीन एतदद्वारा नियुक्ति प्रदान की जाती है :–

शर्ते :–

1– यह नियुक्ति राजस्थान सेवा नियम 1951, राजस्थान तहसीलदार सेवा नियमावली 1956 एवं सरकार द्वारा समय–समय पर जारी आदेशो में अधिकथित निबन्धनों एवं शर्तों के अध्याधीन है।

2– उक्त नियुक्ति एस.बी. सिविल रिट पिटिशन संख्या 18767/2018 नवीन तिलोटिया बनाम राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 24.08.2018, डी.बी. सिविल रिट पिटिशन संख्या 4455/2018 ज्योति चौधरी बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 01.05.2018, माननीय उच्चतम न्यायालय में दायर एस.एल.पी. (सी) संख्या–3595/17 शिवराम सिंह चौधरी बनाम राज्य व अन्य के प्रकरण में पारित आदेश दिनांक 03.08.2017, मान. उच्च न्यायालय में विचाराधीन याचिका संख्या 11200/2010 कन्हैयालाल बनाम आयोग एवं 6744/2008 आयोग बनाम निःशक्तजन आयोग (मयंक मोदी प्रकरण), एस.बी.सिविल रिट पिटीशन सं. 12879/2018 प्रवीण कुमार चौधरी व अन्य बनाम राज्य सरकार में पारित आदेश दिनांक 27.08.2018, उच्चतम न्यायालय में लंबित विशेष अनुमति याचिका 21910/2018 (गरिमा शर्मा एवं अन्य बनाम राज्य सरकार), विशेष अनुमति याचिका संख्या 22134/2018 (मानसी तिवारी एवं अन्य बनाम राज्य सरकार) एवं विशेष अनुमति याचिका 6084–6093/2016 (हनुमान जाट एवं अन्य बनाम राज्य सरकार) तथा इस परीक्षा के संबंध में दायर विभिन्न रिट याचिका/विशेष अनुमति याचिकाओं (सील्ड कवर रखने के आदेश) एवं समस्त वादकरण के अन्तिम निर्णयों के अध्यधीन रहेगी।

3– उक्त नियुक्ति समस्त मूल दस्तावेजों की जॉच के अध्यधीन रहेगी।

4– परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी को वित्त विभाग की अधिसूचना कमांकः प. 1(2)वित्त/नियम/06 दिनांक 13.03.2006, प. 14(1)वित्त/नियम/2013 पार्ट दिनांक 08.06.2015 तथा प. 15(1)वित्त/नियम/2017 दिनांक 30.10.2017 (Schedule IV/Rule No. 16) के अनुसरण में नियत पारिश्रमिक दिया जायेगा। यह पारिश्रमिक माननीय उच्चतम न्यायालय में लंबित एस0एल0पी0 सं. 25565/2015 राजस्थान राज्य बनाम गोपाल कुमावत के निर्णय के अध्यधीन होगा।

5– नियुक्ति से पूर्व आपराधिक प्रकरणों के संबंध में अभ्यर्थी को "Self Declaration" अथवा शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा। यदि अभ्यर्थी के विरूद्ध प्रतिकूल रिपोर्ट पाई जाती है तो अभ्यर्थी की नियुक्ति निरस्त समझी जावेगी, साथ ही नियमानुसार आपराधिक/विधिक कार्यवाही भी अमल में लाई जावेगी।

6– यदि अभ्यर्थी के विरूद्व प्रतिकूल चरित्र सत्यापन रिपोर्ट प्राप्त होती है तो उसकी नियुक्ति स्वतः ही निरस्त मानी जावेगी। अभ्यर्थी की नियुक्ति चरित्र सत्यापन रिपोर्ट के अध्ययीन रहेगी। बकाया रिपोर्ट प्राप्त होने तक अभ्यर्थी की नियुक्ति प्रोविजनल रखी जयेगी। इस संबंध में अभ्यर्थी का नियुक्ति हेतु दावा मान्य नहीं होगा।

7– नियुक्त अभ्यर्थी यदि विवाहित है, उन्हें अपना विवाह पंजीयन प्रमाण–पत्र एवं जीवित संतान/संतानो की सूचना उपस्थिति के समय प्रस्तुत करनी होगी, अन्यथा उपस्थिति की अनुमति प्रदान नहीं की जावेगी।